माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त

श्री वी. पी. सिंघल (सेवानिवृत शासकीय समापक) के अंतर्गत गठित समिति के समक्ष

सी पी संख्या **265/ 1998**

निम्नलिखित के मामले में :

भारतीय रिजर्व बैंक विरुद्ध जे वी जी फाइनेंस लिमिटेड (समापन में)
भारतीय रिजर्व बैंक विरुद्ध जे वी जी लीजिंग लिमिटेड (समापन में)
भारतीय रिजर्व बैंक विरुद्ध जे वी जी सेक्युरिटीज लिमिटेड (समापन में)
भारतीय रिजर्व बैंक विरुद्ध जे वी जी डिपार्टमेंटल स्टोर्स लिमिटेड (समापन में)

<u>लेनदारो को नोटिस का विज्ञापन जिससे की वह आकर अपना दावा सिद्ध करे</u>

दिनांक 01-10-2002 को शासकीय समापक द्वारा प्रकाशित विज्ञापन के उत्तर में, जिसे की विभिन्न समाचारपत्रों में प्रकाशित किया गया था, उपरोक्त नाम की कम्पनी के बहुत से निवेशकर्ताओं ने शासकीय समापक (जो की माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के साथ जुड़े हुए है) के सम्मुख ए-2, डब्लू- 2, कर्जन रोड बैरेक्स, के जी मार्ग, नई दिल्ली 110 001 में अपने दावे पेश किये थे I इनमे से कुछ निवेशकर्ताओं ने अपने मूल कागजात भी पेश किये थे जिससे की यह साबित हो सके की उन्होंने इस कम्पनी में निवेश किया है I यह नोटिस उन सभी के लिए है जिन्होंने पिछले नोटिस के उत्तर में अपने दावे पेश किये थे, जो निम्न प्रकार से है :-

1) वह अपने द्वारा जे वी जी फाइनेंस लिमिटेड, जे वी जी लीजिंग लिमिटेड, जे वी जी सेक्युरिटीज लिमिटेड, जे वी जी डिपार्टमेंटल स्टोर्स लिमिटेड (सभी समापन में) में पृथक पृथक प्रेषक कम्पनी में किये गये निवेश से सम्बंधित मूल कागजात पेश करें, यदि पहले पेश नहीं कर चुके है तो वो शासकीय समापक को इस नोटिस के प्रकाशन के 14 दिनों के अन्दर अंदर देने होंगे I

2) दावेदारों को अपने बैंक के नाम अपने खातों के नंबर अपने बैंक की शाखा एवं बैंक का आई एफ एस सी (IFSC) कोड भी प्रदान करना होगा जिससे की उनके प्रति जो भी रकम देय बनती है उसे सीधे निवेशकर्ता / दावेदार के बैंक के खातें में आर टी जी एस (RTGS) मोड के अंतर्गत ट्रान्सफर किया जा सके I

3) यदि किसी दावेदारों के दावों की राशि रुपये 15,000/- से अधिक है तो उस दावेदार को शासकीय समापक, दिल्ली के नाम से एक इन्डेमिनिटी बौंड़ प्रदान करना होगा जो की उसके दावे के समर्थन में होगा तथा शासकीय समापक, दिल्ली के कार्यालय से प्राप्त रूपपत्र (फॉर्म) में होगा I इस फॉर्म को शासकीय समापक दिल्ली की वेबसाइट www.delhiol.com से भी प्राप्त किया जा सकता है I

4) ऐसे दावेदार जिन्होंने शासकीय समापक को अपना दावा पेश करने के उपरांत अपना पता बदल दिया है वो समिति/ शासकीय समापक को अपना नया पता प्रदान करेंगे, जो की उनको इस नोटिस के प्रकशन के 14 दिनों के अंदर अंदर करना होगा I

5) उन कुछ दावेदारों को, जिन्होंने अपने मूल कागजात नहीं जमा कराये है, को अलग से पत्र लिख कर दावे से सम्बंधित मूल कागजातों को प्रदान करने के लिए कहा गया था, उनमे से कुछ नोटिस इस बात के साथ वापिस आ गए है की दिया गया पता सही नहीं है. ऐसे सभी दावेदारों के नाम तथा उनके पिछले ज्ञात पते शासकीय समापक की उपरोक्त आधिकारिक वेबसाइट पर दिए गए है I

6) वैसे दावेदार, जिन्होंने मेसर्स जे वी जी डिपार्टमेंटल स्टोर्स लिमिटेड में अपने दावे क्लेम नहीं किये है, वो भी अपने दावे कम्पनी (कोर्ट) रूल्स , 1959 के फॉर्म न 66 (शासकीय समापक की आधिकारिक वेब साईट www.delhiol.com और www.delhihighcourt.nic.in पर उपलब्ध) उपरोक्त निर्देशों के अनुसार, मूल कागजात और बैंक डिटेल के साथ, इस नोटिस के प्रकशित होने के 14 दिनों के भीतर भेजेंगे I

7) यदि शासकीय समापक/ समिति के कार्यालय में असल कागजात इस नोटिस के प्रकाशन के 21 दिनों के भीतर नहीं प्राप्त होते है, उस स्थिति में उन दावेदारों के दावे बिना किसी अन्य नोटिस के ख़ारिज माने जायेंगे I

8) किसी भी दावेदार के लंबित दावे के बारे में कोई भी जानकारी,यदि कोई हो तो, शासकीय समापक के कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है I

स्थान: : नई दिल्ली
दिनांक: : २२.११.२०११

(हस्ताक्षर)
श्री वी. पी. सिंघल , संयोजक
माननीय उच्च न्यायलय द्वारा गठित कमिटी
C/o शासकीय समापक,, दिल्ली
ए-२, डब्लू -२, कर्जन रोड बैरक्स , के जी मार्ग,
नई दिल्ली- **110 001.**